उत्तर प्रदेश सरकार
औद्योगिक विकास विभाग-6
संख्या : 982/77-6-09/33(एम)/4
लखनऊ : दिनांक मई, 28 2009

कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश में औद्योगिक विकास को त्वरित गति प्रदान करने के उद्देश्य से उद्योगो सेवा क्षेत्र एवं अवस्थापना संबंधी उपक्रमों की स्थापना हेतु उद्यमियों को न्यूनतम अवधि में सुविधायें, स्वीकृतियॉ उपलब्ध कराने, अन्तर विभागीय समन्वय स्थापित करने, नीतियों, नियमो व प्रक्रियाओं की सतत् समीक्षा कर उनमें सुधार करने तथा विशिष्ट मामलों में केस-टू-केस आधार पर गुणावगुण को विचार में रखते हुए विशेष प्रोत्साहन दिये जाने पर विचार करने के उद्देश्य से इम्पावर्ड कमेटी के गठन की स्वीकृत महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा प्रदान की जाती है :-

1.	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
2.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
3.	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, कर एवं निबंधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
11.	प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
12.	प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
13.	प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
14.	प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
15.	प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
16.	प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
17.	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
18.	प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
19.	प्रमुख सचिव, चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
20.	प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
21.	प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
22.	प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
23.	प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य

24.	प्रमुख सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
25.	प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, प्रदेश शासन।	सदस्य
26.	औद्योगिक विकास विभाग से संबन्धित प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
27.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकस प्राधिकरण।	सदस्य
28.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू0पी0 एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण।	सदस्य
29.	अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।	सदस्य सचिव

समिति में आवश्यकतानुसार संबन्धित मंडलायुक्त/संबन्धित विभागों के सचिव तथा अन्य अधिकारियों को बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु जिस विभाग से संबन्धित होगा उस विभाग के सचिव प्रश्नगत् बैठक में आमंत्रित किये जायेंगे।

उद्योग बन्धु द्वारा सचिवालय का कार्य किया जायेगा। औद्योगिक इकाइयों/उपक्रमों से प्राप्त प्रत्यावेदन/आवेदन यथा संभव **24** घंटे में संबन्धित विभागों को आख्या हेतु अग्रसारित किये जायेगे। संबन्धित विभागों द्वारा ऐसे प्रत्यावेदनों/आवेदनों पर **7** दिन के अंदर आख्या उद्योग बन्धु को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जायेगी। उद्योग बन्धु द्वारा संबन्धित प्रकरण इम्पावर्ड कमेटी की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा जिसमें संबन्धित विभाग के साथ-साथ उद्यमी को भी बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

<u>समिति का कार्यक्षेत्र</u> -

1. जिन औद्योगिक इकाइयों/सेवा क्षेत्र एवं अवस्थापना संबंधी उपक्रमो का पूॅजी विनियोजन 50 करोड़ रूपये या उससे अधिक है तथा कृषि पर आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो तथा इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्यागिकी संबंधी तथा वॉयो-टेक्नोलॉजी आधारित उद्योग जिनकी पूॅजी विनियोजन 10 करोड़ रूपये या उससे अधिक है को केस-टू-केस आधार पर विशेष सुविधायें स्वीकृत करना तथा ऐसे उनकी समस्याओ के निराकरण कराना। ऐसे प्रत्येक मामलो में लिया गया निर्णय मा0 मुख्यमंत्री जी के समक्ष यथाशीघ्र सूचनार्थ रखा जायेगा तथा प्रचलित नियमो के अनुसार समिति यथा-आवश्यकता मा0 मंत्रिपरिषद से भी स्वीकृति प्राप्त करेंगी।
2. ऐसे प्रकरण जिनका निराकरण गत् तीन माह से अधिक समय से नही हो पा रहा है पर विचार कर निराकरण कराना।
3. ऐसी औद्योगिक इकाइयॉ/उपक्रम जो अपना उत्पादन बंद कर चुकी है और किन्ही कारणों से बी0आई0एफ0आर0 में नही गयी है को पुनर्जीवित करने हेतु विशेष सुविधायें स्वीकृति करना तथा उनकी समस्याओ का निराकरण करना।
4. अवस्थापना सुविधाओ को उपलब्ध कराने हेतु अन्तर विभागीय समन्वय स्थापित कर मत निश्चित करना।

5. औद्योगीकरण से संबन्धित पर्यावरण विभाग के बिन्दुओं पर निर्णय।
6. औद्योगिक इकाइयों को नदियो व नहरो से पानी आंवटन कराये जाने पर निर्णय लेना।
7. राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों व सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लिये जाने वाले ऋणों के संबंध में शासकीय गारण्टी दिये जाने के संबंध में निर्णय।
8. औद्योगिक विकास/सेवा क्षेत्र एवं अवस्थापकीय सुविधायें स्थापित करने से संबन्धित नीतियों, नियमो एवं अधिनियमों की समीक्षा कर उनके सरलीकरण एवं सुधार कराये जाने पर निर्णय।
9. औद्योगिक विकास की दृष्टि से व्यापार कर की दरो/छूट संबंधी विषयक।
10. प्रदेश के औद्योगीकरण के विषय में अन्य कोई बिन्दु।

समिति की बैठक प्रत्येक दो माह में एक बार तथा आवश्यकता पड़ने पर इससे पहले भी आयोजित की जा सकेगी। इस कार्यालय ज्ञाप से औद्योगिक विकास विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2063/18-9-94, दिनांक 30 मई, 1994 को अतिक्रमित किया जाता है।

उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

अतुल कुमार गुप्ता
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

<u>प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित</u> :-
1. समिति के सदस्यगण।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव एवं विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. औद्योगिक विकास विभाग के नियन्त्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/निगमो के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष।
4. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. औद्योगिक विकास विभाग के समस्त संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनुसचिव, एवं समस्त अनुभाग।
7. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
8. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. मुख्य सचिव महोदय के स्टॉफ ऑफिसर।
10. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कैप्टन एस.के. द्विवेदी
विशेष सचिव